

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-न-5(2)पु.फो./उ.नि भर्ती/2023/ 1955

दिनांक- 06 जून 2024

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी वर्ष 2021 की विज्ञप्ति संख्या-08/परीक्षा/SI-PC/EP-I/2020-21 दिनांक 03.02.2021, शुद्धि पत्र संख्या-02/2021-22 दिनांक 07.06.2021 के क्रम में आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरान्त उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर (सीधी भर्ती) हेतु सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 17 से 21 तक के अन्तर्गत तथा नियमों की अनुसूची में निहित शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन आदि की समस्त शर्तों की पूर्ति कर लेने एवं संयुक्त शासन सचिव गृह-(गुप-1)विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प-2(26)गृह-1/2017 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के फलस्वरूप निम्न अभ्यर्थियों को प्लाटून कमाण्डर (आरएसी) के पद पर राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़, अजमेर में आदेश जारी होने की दिनांक से 25.06.2024 तक उपस्थिति देने पर परिवीक्षा अवधि दो वर्ष के दौरान वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ-15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 व 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 की अनुसूची IV की L-11 में स्थिर पारिश्रमिक रूपये 26500/- प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	नाम अभ्यर्थी / पिता का नाम	मैरिट	वर्ग	चयनित वर्ग	गृह जिला	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता
1.	MUKHRAM SARAN / ARJUN RAM	349	BC	PC GEN	10-Jun-99	BIKANER	BA
2.	ANIL YADAV / RAMNIWASH YADAV	351	BC	PC GEN	15-Dec-94	JAIPUR	BA
3.	BADRI LAL CHOUDHARY / RAM SWAROOP CHOUDHARY	353	BC	PC GEN	14-Jun-94	TONK	B-TECH
4.	KAVITA / MOTI RAM	1377	BC,WE, RG	PC GEN WE	02-May-99	NAGPUR	B SC
5.	HARISH MEENA / SURAJ MAL MEENA	1668	ST,ME	PC ST	05-Aug-91	JAIPUR	B-TECH
6.	RAMESH MEENA / KAILASH CHAND MEENA	1673	ST	PC ST	03-Jan-99	JAIPUR	BA
7.	SHISHU PAL NAT / RAM CHAND	1769	SC	PC SC	06-Jan-99	BIKANER	BA

परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 की अनुसूची V के अन्तर्गत वेतन भत्ते नियमानुसार देय होंगे एवं नियुक्ति दिनांक से अंशदायी पेंशन के सम्बंध में राज्य सरकार का आदेश क्रमांक प-12(3)वित्त-नियम/2022 दिनांक 19-05-2022 के द्वारा दिनांक 01.04.2022 से नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की गई है, जो प्रभावी होगा।

इस आदेश के साथ अभ्यर्थी को बन्ध-पत्र (AGREEMENT) व शपथ पत्र के प्रोफार्मा एवं ज्वॉइनिंग निर्देशों की प्रति संलग्न भेजी जा रही है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी रूपये 50/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर बन्ध-पत्र एवं शपथ-पत्र तैयार कर अपनी उपस्थिति देंगे। बन्ध-पत्र एवं शपथ-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की उपस्थिति नहीं ली जायेगी। उपस्थिति के पश्चात बन्ध-पत्र पर अभ्यर्थी के पुनः हस्ताक्षर प्राचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़, अजमेर के समक्ष कराए जाकर सत्यापित किए जाएंगे।

अभ्यर्थी को बन्ध-पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप भेजकर लेख है कि बन्ध-पत्र व शपथ पत्र की पूर्ति कर निर्धारित प्रोग्राम अनुसार प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़, अजमेर में उपस्थित हों तथा प्रशिक्षण के दौरान वर्दी खर्च एवं मैस एडवॉन्स हेतु रूपये 20,000/- प्रशिक्षण संस्थान में जमा करावें। क्रेडिट्स के लिए प्रशिक्षण संस्थान में सामान्य निर्देश की प्रति संलग्न है।

अभ्यर्थी दिनांक 25.06.2024 तक उपस्थित नहीं होने पर यह मान लिया जाएगा, कि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है एवं इस दिनांक के तुरन्त पश्चात् ही इनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जाएंगे।

उपरोक्त नियुक्तियां प्रोविजनल आधार पर प्रदान की जा रही है, जो उक्त भर्ती परीक्षा के संबंध में विभिन्न न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेगी।

ई.ओ.बी. नं.: 766 /2024

(सचिन मिश्रा)

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस

(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)

राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव गृह-(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प-2(26)गृह-1/2017 दिनांक 19.01.2021 के क्रम में।
4. अति. महानिदेशक पुलिस (मुख्यालय)/(प्रशिक्षण)/आईबी/आम्ड बटालियन्स, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
6. प्राचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़, अजमेर को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों से ड्यूटी ज्वॉइनिंग से पूर्व संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ पत्र पूर्ण भरवाने के पश्चात् ही इनकी उपस्थिति रिपोर्ट लेंगे एवं इस कार्यालय को ज्वॉइनिंग दिनांक से सूचित करायेंगे। इनके बन्ध-पत्र एवं शपथ-पत्र नियमानुसार पूर्ण करवाकर ही ज्वॉइनिंग प्रदान करें। बन्ध-पत्र एवं शपथ-पत्र का प्रमाणीकरण प्राचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़, अजमेर द्वारा किया जायेगा।
7. महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर/ समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान/ पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
8. सम्बन्धित अभ्यर्थी
9. ई.ओ.बी./आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस

(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)

राजस्थान, जयपुर।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य सरकार कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बन्ध-पत्र का प्रारूप डाफ्ट बॉण्ड

यह बन्ध-पत्र आज दिनांक माह..... सन 200..... को एक पक्ष के पद पर नियुक्त श्री पुत्र श्री..... निवासी (जो इसमें आगे एतद पश्चात "प्रशिक्षार्थी" कहलावेगा) और दूसरे पक्ष के प्रथम जामिन श्री पुत्र श्री निवासी एवम् द्वितीय जामिन श्री पुत्र श्री निवासी (जिन्हें इसमें आगे एतद पश्चात सामूहिक रूप से जामिन कहा जायेगा) की ओर से राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हें आगे एतद पश्चात सरकार कहा जायेगा) के पक्ष में लिखा गया।

चूंकि सरकार ने प्रशिक्षार्थी को पद पर नियुक्ति हेतु चुना है।

और चूंकि नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रशिक्षार्थी को उस पद पर का स्वतंत्र रूप से प्रभार सम्भालने से पूर्व जिसके लिए उसे चुना गया है की अवधि का प्रशिक्षण..... और चूंकि सरकार इसमें आगे एतद पश्चात दी हुई शर्तों पर प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण में भेजने के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ सहमत हो गई है कि प्रशिक्षार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए जामिन मजानत देगे,

और चूंकि जामिन प्रशिक्षार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए जमानत देने को सहमत हो गये है।

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्षी है कि-

- (1) कि सरकार के प्रशिक्षार्थी को.....के पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने तथा नियमानुसार उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के विचार से एवम् कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षार्थी एतद द्वारा सरकार के साथ संविदा करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद दो वर्ष के भीतर वह उपयुक्त कथित पद जिसके लिए कि वह चुना गया है, से न ता त्याग पत्र देगा और जिस पद के लिए वह चुना गया है, उससे अतिरिक्त न किसी अन्य पद पर नियोजित ही होगा।
- (2) कि उपयुक्त कथित विचार को ध्यान में रखकर और कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षार्थी और जामिन एतद द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर यदि प्रशिक्षार्थी त्याग पत्र देता है या उक्त अनुच्छेद (1) का उल्लंघन करते हुए कहीं और नियोजित होता है तो प्रशिक्षार्थी और जामिन पृथक-पृथक रूप से और सामूहिक रूप से वह समस्त राशि सरकार को वापस अदा करेंगे जो सरकार प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षार्थी को देती है, इसके साथ वे सब अन्य खर्चे भी सरकार को लौटायेगे जो इसमें सरकार को करने पड़े। किन्तु, इसमें प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षार्थी को दी गई यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि शामिल नहीं होगी;

15

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनों को प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान दी हुई वह राशि तब तक नहीं लौटानी पड़ेगी जब सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य निष्कृत पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसी के साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध-पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनों द्वारा उपयुक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया है-

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जामिनों के पास अचल सम्पत्ति है और उस अचल सम्पत्ति का मूल्य रूपये से कम नहीं है।

कलक्टर/सहायक कलक्टर/
परगनाधिकार/तहसीलदार
के हस्ताक्षर

विशेष ध्यान देने हेतु-इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिए जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।

A G R E E M E N T

In consideration of the Governor of Rajasthan, having agreed to appoint me as a Sub-Inspector in the Police Department.

I, _____ Son of _____ hereby agree and undertake to :-

- i) Serve in the Police Department for a period of not less than five years with effect from the date of completion of my training.
- ii) carry out all duties entrusted to me and all lawful orders given to me by my superiors in rank.
- iii) refund the cost of training in addition to the pay and allowances received by me in the event of tendering my resignation from the force for any reason or reasons what so ever during period of my training or thereafter during the aforesaid period of five years and
- iv) if I wish to resign before the expiry of the training period and five years thereafter I will submit my request in writing and will not withdrawn from my duties until I am duly relieved.

2. I understand and agree that my services can be terminated :-

- a) by the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of my training or probation.
- b) by the Appointing Authority on my failure to pass the final examination of the initial training course.

Note:- The term pay and allowance used in clause (iii) above means the usual pay and allowances received by or accrued to him upto the date of his resignation.

Witness :

Signature _____
 Designation _____
 Date _____
 Place _____

ACCEPTED

 Signature of the Employee
 Date _____
 for and on behalf of the
 Governor of Rajasthan.

(THE Appointing Authority)

बेसिक कोर्स के लिए सामान्य निर्देश

निम्नलिखित सामान्य निर्देश पहले से प्रसारित पुलिस मुख्यालय के ज्वार्डनिंग निर्देशों के अतिरिक्त लागू होंगे –

1. प्रशिक्षु अपनी उपस्थिति रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से मय तिथि एवं समय के संचित निरीक्षक प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे।
2. प्रशिक्षु की आवासीय व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इस आवास व्यवस्था के संबंध में उक्त अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
3. प्रशिक्षु के परिवार एवं उनके मेहमानों को प्रशिक्षण संस्थान में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी प्रशिक्षु स्कूटर, कार एवं मोटरसाईकिल अपने पास नहीं रखेगा।
4. सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्थान के कार्य संचालन के नियम तथा स्थाई आदेशों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षु ऐसे नियमों / विनियमों तथा स्थाई आदेशों की पालना हर समय करेंगे। प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा भी की जाती है। कि वह प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अवधि के दौरान जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुशासन एवं शिष्टाचार का प्रदर्शन करेंगे तथा प्रशिक्षु हमेशा निर्धारित वेशभूषा में रहेंगे। बनियान एवं लुंगी में घूमना पूर्णतः निषिद्ध है। डायनिंग हॉल में चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करें, परिसर में प्लास्टिक सामग्री, तम्बाकू पूर्णतया निषिद्ध है।
5. आउटडोर एवं इण्डोर कक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित स्थान पर चलाई जायेंगी।
6. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में रहना आवश्यक है। प्रशिक्षुओं को पास प्राप्त करने के उपरान्त ही कुछ समय के लिए परिसर छोड़ने की अनुमति होगी। विशेष परिस्थितियों में परिसर छोड़ने हेतु आउटपास जारी किये जायेंगे तथा पास के आधार पर प्रशिक्षुओं की अनुपस्थिति से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा।
7. प्रशिक्षुओं को विशेष आपातकालीन स्थिति तथा प्रशिक्षुओं के बच्चे, माता/पिता के निधन की स्थिति को छोड़कर किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रशिक्षण अवधि में सगाई एवं विवाह आदि का आयोजन न करें।
8. प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान परिसर में प्रशिक्षण अवधि में मंदिरापान करना सख्त मना है तथा प्रशिक्षण की कक्षाओं एवं परेड ग्राउण्ड में धूम्रपान पूर्णतः निषिद्ध है। प्रशिक्षुओं से उच्च स्तर के चरित्र एवं आचरण की अपेक्षा की जाती है।
9. प्रशिक्षुओं को अपना खाता पोस्ट ऑफिस/बैंक में खोल लेना चाहिए। एटीएम – सुविधा संस्था के मुख्य द्वार पर उपलब्ध है। अतः प्रशिक्षुओं को सलाह दी जाती है। कि अनावश्यक रूप से नकद राशि साथ नहीं रखें।
10. प्रशिक्षुओं के लिए हॉस्टल के अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थान के आवासीय क्षेत्र में प्रवेश निषेध होगा।
11. प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ज्ञानवृद्धि हेतु प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्थित पुस्तकालय का उपयोग करेंगे।
12. मनोरंजन कक्ष का उपयोग ठीक ढंग से तथा टी०वी० का संचालन सावधानी पूर्वक किया जाए। सभी प्रशिक्षु मनोरंजन कक्ष में निर्धारित वेशभूषा में प्रवेश करेंगे।
13. प्रशिक्षण संस्थान परिसर में दोनों (ड्राई एवं वेट) प्रकार की कोपरेटिव कैन्टीन उपलब्ध हैं। प्रशिक्षु को ऑपरेटिव स्टोर के सदस्य बन सकते हैं।
14. सभी प्रशिक्षुओं को मैस एडवांस एवं वर्दी, पीटी ड्रेस, जूते व अन्य साजो-सामान खरीदने हेतु करीब 20,000 रुपये की आवश्यकता रहेगी। अतः सभी प्रशिक्षु आगमन पर उक्त राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
15. महिला प्रशिक्षुओं को हिदायत है कि वे अपने साथ कोई कीमती जेवरात आदि नहीं रखें।
16. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं के लिए मोबाईल फोन का उपयोग निषिद्ध है।
- 17- आवासीय सुविधा निःशुल्क है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होते समय अपने साथ बैडशीट व मौसम के अनुसार कम्बल/रजाई लेकर आयें।

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-न-5(2)पु.फो./उ.नि भर्ती/2023/

1966

दिनांक-07-जून 2024

शुद्धि आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1955 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा नव नियुक्त 07 प्लाटून कमाण्डरों को नियुक्ति आदेश प्रदान किये गये थे, जिसमें सहवन से गृह जिले के कॉलम में जन्म तिथि एवं जन्म तिथि के कॉलम में गृह जिला अंकित हो गया है।

अतः उक्त नियुक्ति आदेश में गृह जिले के कॉलम को जन्म तिथि एवं जन्म तिथि के कॉलम को गृह जिला पढ़ा जावे।

ई.ओ.बी. नं.: 776 /2024

(सचिन मित्तल)

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव गृह-(ग्रुप-1)विभाग राजस्थान जयपुर।
4. अति. महानिदेशक पुलिस (मुख्यालय)/(प्रशिक्षण)/आईबी/आम्ड बटालियन्स, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
6. प्राचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र किशनगढ़, अजमेर।
7. महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर।
8. सम्बन्धित अभ्यर्थी
9. ई.ओ.बी./आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)
राजस्थान, जयपुर।